भारत सरकार / Government of India,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ-Special Economic Zone Authority
अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400 096/ Andheri (East), Mumbai – 400 096
टेलि. / Tel. : 022-28294774 फैक्स / Fax : 28291385
ई-मेल / E-mail: dcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सं. सीप्ज़-सेज़/संपदा/जीसी/05/2015-16/वॉल्यू-III/ 06973 दिनांक 22/06/2020

निविदा आमंत्रण सूचना

विषय: सीप्ज़ सेज़ प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए फॉर्मेट तथा डाटा के आधार पर गेट पास (पीवीसी कार्ड) की पूर्ति तथा प्रिंटिंग।

सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण प्रिंटरों तथा जनशक्ति सहित प्रिंटेड पीवीसी कार्डों की पूर्ति गेट पास की प्रिंटिंग के लिए प्रतिष्ठित, अनुभवी तथा वित्तीय दृष्टि से सक्षम एजेन्सियों से एक साल (जो बढ़ाई भी जा सकती है, यदि समाधानकारक संपादन हो तो) के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है।

(I) बोली प्रस्तुत करने की क्रियाविधि:

1. निविदा दो बोली प्रणाली में निम्नानुसार दो अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत किए जाएं अर्थात तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली।

   लिफाफा 1 जिसके ऊपर **"तकनीकी बोली"** लिखा गया हो, में पैरा III में यथाउल्लिखित तकनीकी पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज रखे जाएं।

   लिफाफा 2 जिसके ऊपर **"वित्तीय बोली"** लिखा गया हो, में पैरा IV में यथाउल्लिखित बोली मूल्य रखा जाए।

2. ये दोनों मुहरबंद लिफाफे एक साथ एक बड़े लिफाफे में प्रस्तुत किए जाएं जिस पर लिखा हो, "वर्ष 2020-21 के लिए प्रिंटिंग गेट पास तथा प्रिंटिंग कार्ड के आपूर्ति के सीप्ज़ – सेज़ से निविदा"। यह लिफाफा सहायक विकास आयुक्त/प्रशा., सीप्ज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 को संबोधित किया जाए।

3. उपर्युक्त उल्लिखित मुहरबंद लिफाफा इस कार्यालय में **दिनांक 22/07/2020 को अपराह्न 2.30 बजे** तक डाक/कुरियर द्वारा अथवा स्वयं आवेदक द्वारा सहायक विकास आयुक्त/प्रशा. को पावती के अधीन सौपा जा सकता है।

4. इच्छुक बोली प्रतिभागि को इस कार्यालय द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जा रहे पीवीसी कार्ड की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी। इस उद्देश्य के लिए, वे सुरक्षा अधिकारी / सहायक सुरक्षा अधिकारी से गेट पास / कर्मचारी के आईडी-कार्ड (पीवीसी कार्ड) के नमूने किसी भी कार्य दिवस पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:00 बजे से 05:00 बजे के बीच ले सकते हैं।

5. पीवीसी कार्ड की गुणवत्ता में कोई भी अंतर, बोली की अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा और इस संबंध में कोई अन्य पत्राचार नहीं किया जाएगा।

6. निविदा जो विलंब से प्राप्त किए जाएंगे अथवा जो मुहरबंद नहीं होंगे अथवा जिनके ऊपर लिखा हुआ नहीं रहेगा, वे अस्वीकृत किए जा सकते हैं।

7. निविदा पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाएं तथा इन पर कंपनी/फर्म की सील लगाई जाए तथा जो मुद्रित फॉर्म में पूर्ण हों।

8. अपूर्ण, अस्पष्ट तथा सशर्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(II) **निविदा का खोला जाना:**

1. लिफाफा । जिसके ऊपर लिखा गया हो, **"तकनीकी बोली" दिनांक 22/07/2020 को अपराह्न 04.00 बजे,** विकास आयुक्त कार्यालय, 2रा तल, सीप्ज़-सेज़ अंधेरी (पूर्व), मुंबई में बोलीदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो निविदा समिति तथा इसके लिए प्राधिकृत अन्य अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होना चाहे, खोली जाएगा।
2. लिफाफा-**II** जिसके ऊपर "**वित्तीय बोली**" लिखा गया हो, के खोले जाने की तारीख तथा समय की सूचना लिफाफा-**I** के खोले जाने के समय सफल बोलीदाता को दी जाएगी।
3. समिति द्वारा "तकनीकी पात्रता" के लिए उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर सभी बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा। दस्तावेजों की संवीक्षा किए जाने के पश्चात समिति पात्र बोलीदाता का "वित्तीय बोली" खोलेगी।

(III) **तकनीकी बोली के आधार पर पूर्व अर्हता का मानदंड:**

अनुबंध-A के अनुसार।

(IV) **वित्तीय बोली:**

अनुबंध-B के अनुसार।

(राजू कुमार)
सहा. विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़

<u>कार्य का क्षेत्र</u>

1. निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ पीवीसी कार्डों पर गेट पासों की मौके पर पूर्ति एवं प्रिंटिंग:-

क्रमांक	मद	मात्रा	आकार	रंग
1	सरकारी कर्मचारी पहचान पत्र	आवश्यकतानुसार	लंबाई 85 एमएम चौड़ाई 54 एमएम मोटाई 30 मिल	सफेद
2	पीवीसी कार्ड पर स्थायी गेट पास	लगभग 2200 (आगे – पीछे) प्रतिमाह (लगभग 88 प्रतिदिन)	लंबाई 85 एमएम चौड़ाई 54 एमएम मोटाई 30 मिल	सफेद

2. सफल बोलीदाता को पर्याप्त मात्रा में पीवीसी कार्ड तथा प्रिंटर रखने होंगे।

3. बोलीदाता को निम्नलिखित विशिष्टियों वाला प्रिंटर उपलब्ध कराना होगा:-
   i. रंगीन पहचान पत्रों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला डबल साइडेड कार्ड प्रिंटर।
   ii. विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल (32 बीट विंडो एक्सपी के लिए ड्राइवर्स आवश्यक)।
   iii. औसतन 1000 कार्ड प्रतिदिन का प्रिंटआउट ।

4. सफल बोलीदाता को सीप्ज़ – सेज़ प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले डाटा के आधार पर गेट पासों की बिना रूकावट के प्रिंटिंग सुनिश्चित किए जाने के लिए जनशक्ति उपलब्ध करानी होगी।

5. गेट पासों की प्रिंटिंग का सामान्य समय प्रातः **<u>09.30 बजे से सायं 06.00</u>** बजे तक होगा। तथापि, आवश्यकता पडने पर सायं 06.00 बजे के बाद भी उसी दिन गेट पासों की प्रिंटिंग पूरी करनी होगी।

****

संलग्नक "क"

(I) मुख्य विवरणः

1. फर्म का नामः
2. कार्यालय का पता:
3. टेलेफोन नं./मोबाइल नं.
4. ई-मेल का पताः

(II) पूर्व अर्हता विवरणः

1. "सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण निधि", मुंबई के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 1.00/- (एक लाख रुपए मात्र) की बयाना जमा राशि (ईएमडी) या एमएसएमई/एनएसआयसी द्वारा जारी छूट प्रमाणपत्र, यदि कोई।
2. पैन तथा पंजीकृत जीएसटी नं. की प्रतिलिपियां, संलग्न करें)।
3. काम के दायरे के अनुसार कार्ड का नमूना जो गेट पास की छपाई के लिए प्रदान किया जाएगा।
4. विधिवत नोटरीकृत 100/- रू. के न्यायिक स्टैंप पेपर पर निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए शपथ-पत्र:-
   - **4.1** मैंने/हमने निविदा सूचना के निबंधन एवं शर्तों को पढ़ कर समझ लिया है तथा इसको बिना किसी विचलन के मैं/हम स्वीकार करता हूं/करते हैं।
   - **4.2** मेसर्स______को किसी सरकार/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी कार्यालय द्वारा पहले काली सूची में नहीं डाला गया है।
   - **4.3** निविदा प्रस्तुत किए जाने तक न तो मेरा/हमारा तथा मेसर्स______ के किसी कर्मचारी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है और न ही किसी न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किया गया है । आगे मैं/हम यह आश्वासन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम अपनी/हमारी एजेन्सी से ऐसा प्रतिनिधि नियोजित करूंगा/करेंगे जिसका निविदा (तकनीकी+वित्तयी बोली) खोले जाने की तारीख तक की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होगी।
   - **4.4** मैं/हम सेवाओं के निष्पादन अथवा सेवा के निष्पादन का कार्य न तो किसी को सौंपेंगे, ना ही अंतरित करेंगे, ना ही गिरवी रखेंगे और ना ही उप ठेके पर देंगे तथा मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि निविदा दस्तावेज के निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करेंगे।
5. महाराष्ट्र में स्थित केंद्र सरकार / केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / महाराष्ट्र सरकार / महाराष्ट्र सरकार के स्वायत्त निकाय / औद्योगिक क्षेत्र / बैंक / प्रतिष्ठित प्राइवेट फर्म द्वारा जारी समतुल्य कार्यदेशों की प्रतिलिपियां।
6. बोलीदाता का मुंबई में व्यापार का मुख्य स्थान हो। इस संबंध में, निगमन प्रमाणपत्र, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र तथा दुकान तथा अधिष्ठान लाइसेन्स परिसर अधिभोग करने संबंधी करार, बिजली बिल, टेलीफोन बिल आदि का दस्तावेज़ी प्रमाण तकनीकी बोली के साथ संलग्न करना होगा।
7. फर्म / एजेन्सी के जिम्मेदार प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम।

**उपरोक्त सभी दस्तावेज पैरा (II) के क्रम संख्या 1 से 7 तक (द्वितीय) "पूर्व-विवरण विवरण" विधिवत हस्ताक्षरित तकनीकी योग्यता के लिए आवश्यक हैं। किसी भी दस्तावेज की कमी के स्थिति में, निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई संचार नहीं किया जाएगा*

संलग्नक "ख"

वित्तीय बोली का फॉर्मेट

[प्रिंटेंड़ पहचान पत्रों की पूर्ति तथा गेट पासों की प्रिंटिंग (पीवीसी कार्ड)]

क्रमांक	मदों के नाम	प्रति कार्ड दर (जीएसटी को छोड़कर)
1	सरकारी कर्मचारियों के पहचान पत्र	
2	प्रवेश के लिए गेट पास	

**उद्धृत शुल्क सभी व्यय और करों को छोड़ कर होना चाहिए। सीप्ज़-सेज प्राधिकरण को एसईजेड अधिनियम, 2005 के अध्याय II के तहत तथा अधिसूचना संख्या 18/2017 5 जुलाई, 2017 को वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी के अधीन सभी प्रकार के करों के भुगतान से छूट दी गई है।*

लागत सार

"वर्ष 2020-21 के लिए सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप और डेटा के आधार पर गेट पास (पीवीसी कार्ड) की आपूर्ति और मुद्रण" रुपये ______________________________ मात्र।

मेरे / हमारे द्वारा उद्धृत दरों पर उपरोक्त वस्तुओं को निष्पादित करने के लिए मैं / हम सहमत हैं। निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी नियम और शर्तें मुझे / हमें स्वीकार्य हैं।

अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
एजेंसी सील के साथ

1.25

अन्य निबंधन तथा शर्तें

1. निविदाएं देर से, अनिश्चित और बिना प्रतिलेखन अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।
2. निविदा को कंपनी / फर्म की मुहर के साथ विधिवत और मुद्रित रूप में पूरा किया जाए।
3. प्रत्येक सुधार / विलोपन / जोड़ / ओवरराइटिंग / स्लिप चिपकाई गई बोलीकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो।
4. अपूर्ण, अस्पष्ट तथा सशर्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. बोली लगाने वाला प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा (व्यक्ति / कंपनी / साझेदारी फर्म के संघों के मामले में लागू)
6. एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले टेंडर की स्थिति में, इसे प्रत्येक भागीदार द्वारा अलग से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, या किसी भी साथी की अनुपस्थिति की स्थिति में, यह उसकी ओर से हस्ताक्षरित एक व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी की शक्ति पर हस्ताक्षर किया जाएगा।
7. बोली लगाने वाले को शब्दों और आंकड़ों में दरों का उद्धरण देना चाहिए; यदि दरों को शब्दों में उद्धृत किया जाए, तो आंकड़ों में उद्धृत दर से भिन्न, दोनों में से कम को सही दर के रूप में लिया जाएगा।
8. निविदा खोलने के समय बोलीदाता व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व कर सकता है।
9. यदि समिति चाहे तो, बोलीदाता की पात्रता निश्चित करने हेतु एक या अन्य नियमों को कोई कारण न बताए शिथिल/संशोधन कर सकती है। बोली प्रस्तुत करने के बाद किसी भी तरह की पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. चयन से पहले संस्थाओं की तकनीकी क्षमता / अवसंरचना सुविधाओं का पता लगाया जाएगा।
11. निविदा जिसके साथ बयाना राशि (ईएमडी) / वित्तीय बोली तथा संलग्नक "क" तथा "ख" के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज संलग्न नहीं होंगे, अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।
12. सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय/अवस्था में किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, और सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और सभी बोलीकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा।
13. बोली की वापसी के मामले में, ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा, जैसे कि प्रस्तुत कि गई होगी।
14. सफल बोली लगाने वाले को सीप्ज़-सेज़ परिसर में प्रवेश करने से पहले अधिकृत कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करना होगा और अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार और मांग के अनुसार पुलिस सत्यापन रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
15. सफल बोलीदाता को कार्य-क्षेत्र के अनुसार प्रिंटर, जनशक्ति तथा प्रिंटिंग कार्ड उपलब्ध कराना होगा तथा उसके अनुसार कार्य करना होगा, ऐसा न करने पर इसे संविदा भंग माना जाएगा तथा प्राधिकरण को बिना कोई कारण बताए संविदा को रद्द करने / समाप्त करने का अधिकार होगा तथा जमा बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
16. सफल बोलीदाता को संविदा अवधि के दौरान प्रिंटिंग कार्डों तथा प्रिंटिंग की गुणता बनाएरखनी होगी। प्रोफॉर्मा के अनुसार प्रिंटिंग की सामग्री साफ तथा पठनीय होगी।
17. गेट पासों की प्रिंटिंग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई जगह पर होगी। प्रत्येक दिन प्रिंट किए जाने वाले कार्डों की संख्या गेट पास के प्रभारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी।
18. सफल बोलीदाता तथा उसके कार्मिकों / कामगारों / कर्मचारियों को नियमों, विनियमों तथा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले दिशा – निर्देशों का अनुपालन करना होगा तथा उन्हें कामकाज के घंटों के दौरान अनुशासन बनाए रखना होगा।
19. सफल बोलीदाता द्वारा नियोजित कार्मिकों / कामगारों / कर्मचारियों को मजदूरी तथा / अथवा अन्य किसी प्रकार की परिलब्धियों के भुगतान के लिए प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा। सफल बोलीदाता अपने

कार्मिकों / कामगारों द्वारा किए जाने वाले किसी प्रकार के दावे के विरूद्ध प्राधिकरण को हमेशा क्षतिपूर्ति से मुक्त रखेगा।

20. प्राधिकरण को सफल बोलीदाता अथवा उसके कार्मिकों/कर्मचारियों की ओर से किसी तकनीकी तथा/अथवा प्रक्रियात्मक चूकों के कारण होने वाली वित्तीय हानि अथवा क्षति की पूर्ति सफल बोलीदाता को करनी होगी।

21. यदि 3 घंटे से अधिक समय तक गेट पास की पूर्ति का कार्य बाधित होता है, तो *1,000/- रू (एक हजार रूपए)* के अर्थदंड के दायी होंगे।

22. **सफल बोलीदाता को कार्य आदेश प्राप्त करने की तारीख से 3 दिनों के अंदर अपनी स्वीकृति देनी होगी, ऐसा न करने पर जारी किया जाने वाला कार्य आदेश रद्द समझा जाएगा।**

23. **बिलनः** कार्डों की पूर्ति तथा प्रिंटिंग का कार्य पूरी तरह से निष्पादित किए जाने के पश्चात स्वीकृत बोली की दर से प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जाएगा।

24. निविदा हस्तांतरणीय नहीं है। सफल बोलीदाता किसी भी मामले में कोई उप ठेकेदार अथवा अन्य कोई संगठन को नियुक्त नहीं करेगा तथा उसे अपने अधिकारों तथा दायित्वों को हस्तांतरित करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

25. कार्य आदेश के सम्यक ढंग से पूर्ण किए जाने हेतु सफल आवेदन का जमा बयाना राशि सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के पास प्रतिभूति जमा के रूप में रहेगा जो इस अवधि के समाप्त होने पर वापस किया जाएगा। निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित निबंधन तथा शर्तों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में यह जब्त कर लिया जाएगा। अन्य बोलीदाता के जमा बयाना राशि वापस कर दिए जाएंगे। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

26. यदि सफल बोलीदाता की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं, तो प्राधिकरण के पास ठेका अवधि के दौरान बिना कोई कारण बताए कार्य आदेश को समाप्त करने अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

27. कार्य आदेश/ठेका के समाप्त किए जाने/रद्द किए जाने पर सफल बोलीदाता क्षतिपूर्ति, नुकसान अथवा किसी अन्य रूप में किसी राशि, राशियों के लिए हकदार नहीं होगा।

28. प्रत्येक बोलीदाता अपनी निविदा प्रस्तुत करने के पहले इसके निबंधन तथा शर्तों को ध्यान से पढ़कर समझ लें। बाद में यह उनका यह कहना स्वीकार नहीं किया जाएगा कि उन्होंने शर्तें नहीं पढ़ी थीं / नहीं समझी थी ।

29. निविदाएं अंग्रेजी / हिंदी में अवश्य लिखी जाएं। बोली से संबंधित अथवा इसके कारण किए जाने वाले सभी पत्राचार अंग्रेजी / हिंदी में होंगे।

30. एकल आवरण प्रणाली अपनाई जाएगी। बयाना राशि तथा सभी अनिवार्य दस्तावेज़ों के साथ संलग्नक "क" में भरे गए संगत विवरण एक अलग मुहरबंद लिफाफे में रखा जाए जिसके ऊपर यह लिखा हो **"पहचान पत्रों तथा गेट पासों (पीवीसी कार्डों) की पूर्ति एवं प्रिंटिंग के लिए निविदा"।** तथा उसे सहायक विकास आयुक्त (प्रशा.), सीप्ज़-विशेष आर्थिक क्षेत्र, अंधेरी(पूर्व), मुंबई-400096 को सौपा जाए। बिना मुहरबंद की गई सामग्रियां स्वीकार नहीं की जाएगी। संलग्नक "ख" अर्थात वित्तीय बोली एक अलग लिफाफे में रखकर उसे एक अन्य लिफाफे में रखा जाए।

2128

31. आपवादिक परिस्थितियों में सीप्ज़ – सेज़ प्राधिकरण निविदादाता से वैधता अवधि के विस्तार के लिए सहमति मांग सकता है। इस संबंध में अनुरोध तथा सहमति लिखित रूप में होगी।

32. निविदा जिसके साथ बयाना राशि (ईएमडी) / वित्तीय बोली तथा संलग्नक "क" तथा "ख" के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज संलग्न नहीं होंगे, अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि (ईएमडी) यथासंभव उन्मोचित अथवा लौटाई जाएगी।

33. सीप्ज़ – सेज़ प्राधिकरण ऐसे सफल निविदादाता को संविदा प्रदान करेगा जिसकी निविदा निर्धारित मानदंडों तथा उद्धरित प्रतिस्पर्धी कीमत के संदर्भ में एजेन्सी की उपयुक्तता के आधार पर निर्धारित की गई हो, बशर्तें कि निविदादाता संविदा को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने की योग्यता के प्रति तत्पर हो।

****